प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम कांसवाली कोठडी में कांसवाली कोठडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग 0.628 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय।

संलग्न है

अधिशासी अभियंता,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून ।

राज्य जल एवं स्वच्छता मि[redacted]
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
प्रथम तल, दि इन्सीट्यूशन आफ इंजीनियरर्स बिल्डिंग
अपोजिट आई0एस0बी0टी0, देहरादून 248171

फोन न0–0135–2644050
फैक्स न0–0135–2643727
ई.मेल swsm.uttarakhand@gmail.com
swsm_uttarakhand@rediffmail.com

पत्रांकः 671/N-560/2018–19   दिनांकः 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2018

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
11 मोहनी रोड़, देहरादून।

विषयः <u>राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल निगम को धनावंटन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

आपके अनुरोध के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–437/DPR-79(XIV)/2018-19 दिनांक 6 सितम्बर, 2018 के द्वारा सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की कांसवाली कोठरी पेयजल योजना का प्राक्कलन शासन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में शासन द्वारा अपने पत्रांक 2591/उन्तीस(2)/18–2(76पे0)/2018 दिनांक 9 नवम्बर, 2018 के द्वारा उक्त योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त विषयक मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में आपको आच्छादन घटक के सामान्य उपघटक में निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

(धनराशि रू0 लाख में)

Sl No	District	Scheme	Sanctioned Cost	Community Contribution	Amount Being Paid under Gen Sub Component		Total
					Centre	State	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dehradun	Kanswali Kothri	339.96	2.36	121.54	0.00	121.54

उपरोक्त कार्यो के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि को उपयोग किये जाने से पूर्व भारत सरकार की वैबसाइट आई0एम0आई0एस0 में एन्ट्री किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. उक्त कार्यो का क्रियान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप सम्पन्न कराया जायेगा।
3. कार्यो की आई0एम0आई0एस0 वैबसाइट में एन्ट्री करने के उपरान्त ही व्यय किया जाए।
4. कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगंणनों पर प्रशासनिक/वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगंणन पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।
6. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं अन्य तदविशयक नियमों का अनुपालन किया जाए।
7. उक्त धनराशि का व्यय N.R.D.W.P हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर धनराशि के स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों/पत्रों के माध्यम से जारी निर्देशों, नवीनतम दिशानिर्देशों (वैबसाइट पर अपलोडेड) एवं नवीनतम दिशानिर्देशिका का पालन किये जाते हुए करना सुनिश्चित किया जाय।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की दिशानिर्देशिका के क्रम में केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का पृथक–पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) निर्धारित प्रपत्र पर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।

9. उपरोक्त धनराशि में से सैन्टेज चार्ज नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तराखण्ड पेयजल निगम को जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर की कांसवाली कोठरी पेयजल योजना हेतु आच्छांदन घटक के सामान्य उपघटक के अन्तर्गत रू0 121.54 लाख (केन्द्रांश) चैक संख्या 615952 दिनांक 12 नवम्बर, 2018 के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। कृपया उपरोक्त धनराशि की प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार चैक मूल में।

भवदीय,

(योगेन्द्र सिंह)

मुख्य अभियन्ता

Photocopy attested

A.E.

Assistant Engineer
Construction Div.
Uttarakhand Pay Jal N
Dehradun